न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1547/2026

रामसेवक आयु लगभग 70 साल पुत्र नथई निवासी मकान नंबर–330 गौरा गजनी शाहपुर भगौली थाना फतेहपुर, जिला बाराबंकी।

——— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–119/2025
धारा–419,420,467,468,471 भा0दं0सं0
थाना– फतेहपुर,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री बृजेश कुमार
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	30.05.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	04.06.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा चन्द्रिका प्रसाद व अन्य द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दुलारी इंटरप्राइजेज के सदस्य/विपक्षीगण द्वारा जमीन के कागजात फोटो आदि लेकर बैंक मैनेजर व फील्ड आफिसर के मिली भगत से सभी लोगों के नाम से बैंक से रूपये निकाल लिये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। बैंक द्वारा ऋण दिये जाने के पूर्व समस्त आवश्यक जांच करने के उपरांत ही ऋण प्रदान किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त का उक्त ऋण वादीगण को न तो दिलाया गया है न ही उनसे इस सन्दर्भ में कोई बातचीत या कार्यवाही की गयी है। सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त द्वारा कारित

अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रकरण में वादीगण के नाम से बैंक से ऋण लिये जाने का अभियोग आवेदक/अभियुक्त पर है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त की आयु 70 वर्ष बतायी गयी है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रामसेवक उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि की एक प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1–आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

2–अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–04.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899